न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1216–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–03–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 39/2013–14/अपील

मोहन सिंह पुत्र भूपसिंह यादव
निवासी ग्राम खुरेरी व हाल निवासी
तिकोनिया हाथीखाना रोड मुरार ग्वालियर

.....आवेदक

विरूद्ध

काशीराम पुत्र मुलेसिंह
निवासीग्राम विक्रमपुर तहसील व
जिला ग्वालियर

.....अनावेदक

श्री के0एन0उपमन्यु, अभिभाषक, आवेदक
श्री एन0डी0शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17/8/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–3–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक काशीराम द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम खुरेरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 27 मिन 3 रकबा 0.324 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 31 रकबा 0.125 हेक्टेयर पर वह वर्ष 1999 से निरन्तर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहा है, अतः मौके के अनुसार उसका कब्जा दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 16/11–12/बी–121 दर्ज कर दिनांक 16–11–2012 को आदेश पारित कर कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये

गये। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12–8–2013 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 11–03–2015 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार को संहिता के प्रावधानों के अनुरूप कब्जा दर्ज करने की अधिकारिता नहीं है। यह भी कहा गया कि मौके पर अनावेदक का कभी भी कब्जा नहीं रहा है और आवेदक की भूमि हडपने के लिये उसके द्वारा कब्जा दर्ज कराये जाने की कार्यवाही की गई है, इस ओर ध्यान नहीं देकर तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है और तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करने में दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 121 के नियम 6, 7 व 8 के अन्तर्गत किसी भी राजस्व अधिकारी को खसरे में कब्जा दर्ज करने की अधिकारिता नहीं है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधि विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

तर्क के समर्थन में 2005 आरएन 432 एवं 2007 आरएन 199 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया वर्ष 1999 से प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक काबिज होकर कृषि कार्य कर रहा है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक का कब्जा दर्ज करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा मौके की स्थिति के अनुसार कब्जा दर्ज करने की अधिकारिता प्राप्त है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपंजीकृत विक्रय अनुबंध पत्र के आधार पर कब्जा दर्ज करने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है और तहसीलदार द्वारा उक्त अपंजीकृत विक्रय अनुबंध पत्र के आधार पर ही प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का कब्जा दर्ज किया गया है। अपंजीकृत अनुबंध पत्र के आधार पर की गई उक्त कार्यवाही उचित नहीं है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित आदेश है जिसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–3–2015 तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–8–2013 एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–11–2012 निरस्त किये जाते हैं । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर